न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री – शिल्पा सिंह IAS

प्रकरण संख्या 98 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

ओंकार पुत्र हरलाल रेबारी वगैरा नि. ढाणी मालागर

– ~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण

बनाम

रामनिवास पुत्र कल्याण खाकर वगैरा नि. कालिन्द्री गेट खाकर मोहल्ला शाहपुरा

– ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री लालाराम गुर्जर
अभिभाषक प्रार्थीगण

दिनांक 09-09-2020

निर्णय

~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– ~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा/ ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 9296 रकबा 1.70 कुल किता 01 रकबा 1.70 हैक्टयर का ~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण ~~खातेदार~~ / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण पड़ौसी है। ~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण एवं ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक ~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के ~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण ~~खातेदार~~ / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः ~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा मे स्थित ~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण की उपरोक्त ~~खातेदारी~~ / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 01 रकबा 1.70 हैक्टयर की मुख्मा पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढी (मौके मौजूदगी मे) किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 200/– रूपये कायम किये जाते है जो ~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09-09-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.19 17:07:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:–तहसीलदार, शाहपुरा/ ——— को भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी करा जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner